# जीएसटी में इनपुट कर क्रेडिट तंत्र

इनपुट कर क्रेडिट की अविरल एवं निर्बाध श्रृंखला (जिसे एतदपश्चात "आईटीसी" कहा जाएगा) माल और सेवा कर की मुख्य विशेषता है। आईटीसी करों के क्रमप्रपात (कैस्केडिंग) से बचने के लिए एक तंत्र है। सामान्य भाषा में, करों के क्रमप्रपात को "कर पर कर" कहा जा सकता है। कराधान की मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा उगाहे जा रहे करों का क्रेडिट समंजन के रूप में राज्य सरकारों द्वारा उगाही किए जा रहे करों के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है और इसके विपरीत क्रम में भी ऐसा ही होता है। जीएसटी प्रणाली की एक सर्वाधिक महत्व पूर्ण विशेषता यह है कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जीएसटी के अध्य धीन होगी जिसकी उगाही केंद्रीय अथवा राज्या सराकर द्वारा समवर्ती रूप से की जाएगी। चूंकि केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रभारित कर एक समान कर प्रणाली का एक भाग होगा इसलिए प्रत्येक स्तिर पर दिए गए कर का क्रेडिट उसके प्रत्येक उत्तरवर्ती स्तर पर कर का भुगतान करने के लिए समंजन (सेट ऑफ) के रूप में उपलब्ध होगा।

आइए अब हम समझें कि मौजूदा प्रणाली में करों का "क्रमप्रपात" कैसे होता है। अंतिम उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग की गई अंतर्निविष्टियों पर प्रभारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का लाभ अंतिम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पेन बनाने के लिए, विनिर्माता को प्लास्टिक दाना, रिफिल ट्यूब, मेटल क्लिप आदि की जरूरत पड़ती है। इन सभी अंतर्निविष्टियों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है। इन अंतर्निविष्टियों का प्रयोग करके पेन का विनिर्माण करने के पश्चात उस पेन पर भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार्य होता है। अब हम यह कल्पना करें कि ऊपर उल्लिखित सभी इनपुटों की लागत मान लो कि 10/- रुपए है जिस पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थात 1/- रुपए का केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान किया जाता है। मानलो विनिर्मित पेन की लागत 20/- रुपए है तो उस विनिर्मित पेन पर 10 प्रतिशत की दर से देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2/- रुपए होगा। अब, पेन का विनिर्माता अंतर्निविष्टियों पर प्रदत्त शुल्क अर्थात 1/- रुपए का प्रयोग उस पेन पर शुल्क/ का भुगतान करने के लिए कर सकता है। इसलिए वह इनपुटों पर प्रदत्त 1/- रुपए का प्रयोग करेगा और वह नकद रूप से 1/- रुपए अर्थात (1+1 = 2) का भुगतान करेगा, इस प्रकार पेन की कीमत 22/- रुपए हो जाती है। असल में, वह इनपुटों की लागत के अतिरिक्त "वर्धित मूल्य" पर शुल्क का वस्तुत: भुगतान करता है। यह तंत्र करों के क्रमप्रपात (कैस्केडिंग) को समाप्त' करता है। तथापि, जब विनिर्माता द्वारा उस पेन की बिक्री व्यापारी को की जाती है तो उसे उसकी बिक्री करने पर वैट की अदायगी करना अपेक्षित होता है। परंतु, वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत पेन का विनिर्माता उस पेन पर प्रदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट (जमाधन) का प्रयोग वैट का भुगतान करने के लिए नहीं कर सकता हैं क्यों कि दोनों ही उद्ग्रहणों को क्रमश: केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच कोई सांविधिक अनुबंधन नहीं है। इसी कारण उसे पेन के संपूर्ण मूल्य अर्थात 22/-रुपए पर वैट की अदायगी करना अपेक्षित होता है, जिसमें वस्तुत: 2/-रुपए के बराबर केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल है। इसी को करों का क्रमप्रपात अथवा कर पर कर कहते हैं क्यों कि वैट का भुगतान पेन के मूल्यं अर्थात 20/- रुपए पर ही नहीं अपितु कर अर्थात 2/- रुपए पर भी किया जा रहा है।

माल और सेवा कर (जीएसटी) करों के इस क्रमप्रपात का शमन करेगा। इस नई प्रणाली के अंतर्गत माल और सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एक एकल लेवी के अंतर्गत मिला दिया जाएगा। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत वह प्रमुख कर/लेवियां जिन्हें मिलाया गया है अथवा किसी वर्ग के अंतर्गत मिलाया गया है किया गया है निम्नेलिखित हैं:

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- औषधीय एवं प्रसाधन विनिर्मितियाँ अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहित उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी एवं एसएडी)
- सेवा कर
- अधिभार एवं उपकर

- राज्य वैट/बिक्री कर
- केंद्रीय बिक्री कर
- क्रय कर
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा उद्ग्रहित के अलावा)
- विलासिता कर
- प्रविष्टि कर (सभी रूपों में)
- लॉटरी, सट्टेबाजी एवं जुआ पर कर
- अधिभार एवं उपकर

## जीएसटी

### जीएसटी में इनपुट कर क्रेडिट तंत्र

1 राष्ट्र कर बाजार

हमारा अनुसरण करें

@CBEC_India
@askGST_GoI

cbecindia

सत्यमेव जयते

# जीएसटी

## माल और सेवा कर

# जीएसटी में इनपुट कर क्रेडिट तंत्र

करदाता सेवा महानिदेशालय
**केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड**
www.cbec.gov.in

जीएसटी में निम्नतलिखित करारोपण शामिल हैं:

क. अंत:राज्यीय अथवा बिना विधान मंडल वाले अंत:-संघ राज्य-क्षेत्रों को वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) (जिसे केंद्रीय कर के रूप में भी जाना जाता है)।

ख. वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की अंत:राज्यीय आपूर्ति पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) (जिसे राज्य कर के रूप में भी जाना जाता है)।

ग. वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की अंत:-संघ राज्य-क्षेत्रों को आपूर्ति पर संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) (जिसे संघ राज्य-क्षेत्र कर के रूप में जाना जाता है)।

घ. वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की अंतरराज्यिक आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) (जिसे एकीकृत कर के रूप में भी जाना जाता है)। वस्तुओं के आयात के मामले में इस समय वसूल किए जाने वाले प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के स्थान पर एकीकृत कर प्रतिस्थापित किया गया है।

इन करों के क्रेडिट को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने का प्रोटोकॉल निम्नवत है:

| निम्नलिखित का क्रेडिट | पहले निम्नालिखित का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है |
|---|---|---|
| सीजीएसटी | सीजीएसटी | आईजीएसटी |
| एसजीएसटी/यूटीजीएसटी | एसजीएसटी/यूटीजीएसटी | आईजीएसटी |
| आईजीएसटी | आईजीएसटी | सीजीएसटी, तब एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी, इस क्रम में |

सीजीएसटी के क्रेडिट का प्रयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

इनपुट कर क्रेडिट योजना के कुछ तकनीकी पहलू निम्नलिखित हैं:

क. कोई पंजीकृत व्यक्ति ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आंतरिक आपूर्ति पर प्रदत्त कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है जिनका प्रयोग अथवा प्रयोग करने का इरादा व्यवसाय के अनुक्रम में है अथवा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए है।

ख. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

(क) उसके पास कर बीजक अथवा कर अदायगी का कोई अन्य विनिर्दिष्ट दस्तावेज हो।

(ख) उसने वस्तुएं अथवा सेवाएं प्राप्त की हों। इसमें "बिल टू शिप" परिदृश्य भी शामिल है।

(ग) कर का भुगतान वास्तव में आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया हो।

(घ) उसने रिटर्न प्रस्तुत कर दी हो।

(ड) यदि अंतर्निविष्टियां भारी संख्या में प्राप्त होती हैं तो वह इनपुटों के अंतिम लॉट प्राप्त होने के पश्चात ही क्रेडिट प्राप्त होने के लिए पात्र होगा।

(च) उसे बीजक जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य तथा कर का भुगतान कर देना चाहिए, ऐसा न करने पर प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त क्रेडिट की राशि ब्याज सहित उसके आउटपुट कर देयता में जोड़ दी जाएगी [आईटीसी नियमावली का नियम 2(1) और (2)]। तथापि, राशि का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर प्राप्तकर्ता क्रेडिट प्राप्त करने का पुन: पात्र हो जाएगा। यदि आंशिक भुगतान किया गया है, तो आनुपातिक क्रेडिट की अनुमति होगी।

ग. वह दस्तावेज जिनके आधार पर क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है:

(क) वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक

(ख) प्राप्तकर्ता द्वारा जारी बीजक तथा कर भुगतान का प्रमाण

(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी डेबिट नोट

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रविष्टि बिल अथवा ऐसा ही कोई अन्य दस्तावेज

(ड) संशोधित बीजक

(च) इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी दस्तावेज

घ. जिस वित्तीय वर्ष का वह बीजक है उसके अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह के बाद अथवा वार्षिक रिटर्न फॉइल करने की तिथि, इनमें से जो पहले हो, को कोई आईटीसी नहीं।

ड. इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) क्रेडिट का वितरण उसी माह में करेगा जिसे माह में उसने वितरण के लिए प्राप्त किया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का क्रेडिट, आईटीसी नियमावली के नियम 4(1)(घ) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आईएसडी को बीजक नियमावली के नियम 9(1) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार बीजक जारी करना होगा ।

च. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) में यथा-उल्लिखित कुछ मामलों में आईटीसी उपलब्ध नहीं होता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(क) विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर मोटर वाहन तथा अन्य वाहन।

(ख) निम्नलिखित के संबंध में प्रदान कराई गई वस्तुएं और/अथवा सेवाएं:

(i) खाद्य एवं पेय, आउटडोर केटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के सिवाए;

(ii) क्लब, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्र की सदस्यता;

(iii) जहां किसी विधि के अंतर्गत नियोक्ता के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, को छोड़कर रेन्ट-ए-कैब, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा;

(iv) कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा लाभ जैसे छुट्टी अथवा गृह यात्रा रियायत।

(ग) निर्माण संविदाओं की आपूर्ति करने के लिए इनपुट सेवाओं को छोड़कर निर्माण संविदा सेवाएं, जब उनकी आपूर्ति किसी अचल संपत्ति का निर्माण करने के लिए की गई हो, इनमें प्लांट एवं मशीनरी शामिल नहीं है;

(घ) किसी कराधीन व्यक्ति द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अलावा अपनी स्वयं की अचल संपत्ति का निर्माण करने के लिए प्राप्त वस्तुएं अथवा सेवाएं; यहां तक कि जब उनका प्रयोग व्यापार के दौरान अथवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो;

(ड.) ऐसी वस्तुएं और/अथवा सेवाएं जिन पर कर का भुगतान कम्पोजीशन स्कीम के अंतर्गत किया हो;

(च) निजी या व्यक्तिगत खपत के लिए प्रयुक्त वस्तुएं और/अथवा सेवाएं, उस सीमा तक जब तक उनका उपयोग इसी निजी या व्यक्तिगत खपत के लिए किया गया;

(छ) गुम हुई, चोरी हुई, विनष्ट, बट्टे खाते में डाली गई, भेंट की गई वस्तुएं अथवा मुफ्त नमूने;

(ज) धोखा धड़ी, छिपाव, मिथ्या घोषणा, जब्ती, संरोध की वजह से कम कर भुगतान के कारण प्रदत्त कोई कर

छ. विशेष परिस्थितियां जिनके अंतर्गत आईटीसी उपलब्ध होती है:

(क) कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण के लिए उसका दायित्व बनने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किया है, वह जिस तिथि से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होता है उससे तत्काल पहले वाले दिन को भंडार (जैसे कि इनपुट और अर्द्ध परिष्कृत अथवा परिष्कृत वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुट) में धारित वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर के आईटीसी के लिए हकदार होगा।

(ख) कोई व्यक्ति जिसने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 23(3) के अंतर्गत स्वेच्छा से पंजीकरण कराया है वह पंजीकरण कराने की तिथि से तत्काल पूर्ववर्ती दिन को धारित भंडार (जैसे कि इनपुट और अर्ध परिष्कृत अथवा परिष्कृत वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुट) में धारित वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर के आईटीसी के लिए पात्र होगा।

(ग) धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम से सामान्य स्कीम को अपनाने वाला व्यक्ति सामान्य करदाता के रूप में कर अदा करने के लिए उत्तरादायी होने की तिथि से तत्काल पूर्ववर्ती दिन को धारित भंडार (जैसे कि इनपुट और अर्ध परिष्कृत अथवा परिष्कृत वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुट) की वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में आईटीसी के लिए हकदार हो जाएगा।

(घ) जहां छूट प्राप्त वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति करयोग्य हो जाती है, वहां ऐसी आपूर्तियां करने वाला व्यक्ति इन छूट प्राप्त आपूर्तियों से संबंधित वस्तुओं के धारित स्टॉक (जैसे कि इनपुट और अर्ध परिष्कृत अथवा परिष्कृत वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुटों) के संबंध में आईटीसी प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। वह इन छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग की गई पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट प्राप्त करने का भी हकदार होगा बशर्ते कि विगत में किए गए प्रयोग के लिए नियम में यथानिर्धारित कटौतियां की गई हों।

(ड.) उपर्युक्त सभी मामलों में आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आईटीसी प्राप्त करना होता है।

(च) बिक्री, विलयन, अलग होने आदि के कारण पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रयोग न किए गए आईटीसी की अनुमति अंतरिती को अंतरित कर दी जाएगी।

(छ) धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम से सामान्य स्कीम को अपनाने वाला व्यक्ति अथवा जहां कर योग्य आपूर्ति को कर से छूट दी जाती है वहां स्टॉक में धारित वस्तुओं (जैसे कि इनपुट और अर्ध परिष्कृत अथवा परिष्कृत वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुट) और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में प्राप्त आईटीसी का भुगतान करना होगा।

(ज) पूंजीगत वस्तुओं अथवा प्लांट और मशीनरी की ऐसी आपूर्ति के मामले में जिन पर आईटीसी ले ली गई है वहां प्राप्त आईटीसी के समान राशि घटा करने नियम में यथानिर्धारित कटौती (प्रत्येक तिमाही अथवा उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत) करके शेष राशि का भुगतान करना होगा। यदि आपूर्ति के सौदे के मूल्य पर कर अधिक है तो उसका भी भुगतान करना होगा।